# न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 715–दो/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2003– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 35/2002–03 निगरानी

श्रीमती कस्तूरी वाई (मृतक)पत्नि बैजनाथ

वारिस

1– श्रीलाल पुत्र पुत्तूलाल
2– बिनोद पुत्र रामभरोसे
3– संजय पुत्र रामभरोसे
निवासीगण ग्राम मौरा
तहसील अटेर जिला भिंड
4– बासुदेव शर्मा पुत्र बनबारीलाल
ग्राम जगना तहसील अटेर ---आवेदकगण

विरूद्ध

सुभाष सिंह पुत्र सेंथीलाल
ग्राम महापुर तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक1,2,3 के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(आवेदक 4 के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)

आ दे श

(दिनांक 19 –जनवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 35/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गजना स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 1.893 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) स्वर्गीय बैजनाथ पुत्र चतुरी जाति बारी के नाम थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्रामसभा के प्रस्ताव/

ठहराव कमांक 1 पर दि. 25-7-2002 से स्वर्गीय बैजनाथ की पत्नि महिला कस्तूरीवाई का नामान्तरण किया गया। इससे दुखी होकर सुभाष सिंह पुत्र सेंधीसिंह बारी ने अनुवभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष अपील कमांक 34/2001-02 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12-9-2002 से नामान्तरण निरस्त किया तथा प्रकरण नायव तहसीलदार सुरपुरा की ओर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 4/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29-1-03 से अनुविभागीय अधिकारी, अटेर का आदेश दिनांक 12-9-2002 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, अटेर को सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 35/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 से अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश दिनांक 29-1-03 निरस्त किया एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12-9-2002 को स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा, किन्तु 10 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत न करने के कारण श्रवण किये गये तर्को के आधार पर पारित यह आदेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक का तर्क है कि मृतक महिला कस्तूरीवाई के कोई पुत्र/पुत्री नहीं था जिसके कारण उसने रजिस्टर्ड बसीयत करके अपनी भूमि सगे भाई रामभरोसे एंव श्रीलाल को 9-3-2003 को प्रदान कर दी थी महिला कस्तूरीवाई की मृत्यु दिनांक 17-5-2004 को हुई है

बसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय सुरपुरा में प्र.क. 14/04-05 अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 29-6-2005 को उनका नामान्तरण हो चुका है। आवेदक कमांक 4 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसील न्यायालय से नामान्तरण हो जाने के वाद वादग्रस्त भूमि में से 0.910 हैक्टर भूमि अनावेदक क-4 ने पंजीकृत विक्रय पत्र दि. 18-11-05 से खरीदी है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी अटेर एंव अपर कलेक्टर तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के अप्रभावी हो गये है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाय।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया वादग्रस्त भूमि का मूल भूमिस्वामी बैजनाथ पुत्र चतुरी बारी है जिसने अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि की बसीयत दिनांक 25-5-2001 को अनावेदक को कर दी थी क्योंकि अनावेदक भूमिस्वामी बैजनाथ की सगी बहिन के लड़के का लड़का है। बैजनाथ बेओलाद होने से वह उसके साथ रहा है एंव सेवा खुशामद उसीने की है। वह बसीयतग्रहीता है जिसके कारण वादग्रस्त भूमि में उसे स्वत्व पहुंचता है फिर भी ग्राम सभा ने अथवा पटवारी ने कोई सूचना नहीं दी तथा बैजनाथ के मरने के वाद महिला कस्तूरीवाई का नामान्तरण कर दिया। उन्होंने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 35/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक खातेदार बैजनाथ की महिला कस्तूरीवाई विवाहित एकमात्र जीवित पत्नि है जिसका कि ग्रामसभा ने प्रस्ताव/ठहराव कमांक 1 पर दि. 25-7-2002 से नामान्तरण किया है इसी नामान्तरण पर आपत्ति करके अनावेदक ने बसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि में स्वत्व होना बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी अटेर के

समक्ष अपील कमांक 34/2001-02 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने आदेश दिनांक 12-9-2002 से ग्रामसभा के आदेश दिनांक 25-7-2002 से मृतक खातेदार की पत्नि का किया गया नामान्तरण निरस्त किया है। जब मृतक खातेदार बैजनाथ की अनुसूची कमांक 1 की बैध वारिस जिन्दा है नामान्तरण उसी का किया जायेगा, बसीयतग्रहीता के नामान्तरण पर विचार नहीं होगा, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने आदेश दिनांक 12-9-2002 से ग्रामसभा का प्रस्ताव/ठहराव कमांक 1 दिनांक 25-7-2002 निरस्त करके प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बड़ाई है इसी प्रकार अपर कलेक्टर, भिण्ड ने निगरानी कमांक 4/2002-03 में आदेश दिनांक 29-1-03 से अनुविभागीय अधिकारी, अटेर का आदेश दिनांक 12-9-2002 निरस्त कर प्रकरण पुनः अनुविभागीय अधिकारी, अटेर को सुनवाई हेतु वापिस करने में त्रृटि की है और इसी तरह अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ने प्र.क. 35/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दि. 31-3-2003 से अपर कलेक्टर, भिण्ड के आदेश दि. 29-1-03 को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ विचार योग्य यह भी है कि बैजनाथ पुत्र चतुरी जाति बारी की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर वारिसाना आधार पर उसकी पत्नि श्रीमती कस्तूरीवाई का नामान्तरण हुआ। कस्तूरी वाई ने पंजीकृत बसीयत अपने भाई रामभरोसे एंव श्रीलाल को कर दी। कस्तूरीवाई की मृत्यु 17-5-2004 को होने के वाद वादग्रस्त भूमि पर बसीयतग्रहीता रामभरोसे एंव श्रीलाल का नामान्तरण हुआ, जिन्होंने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 18-11-2005 से वादग्रस्त भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 1.035 हैक्टर में से रकबा 0.910 हैक्टर बासुदेव शर्मा को

विक्रय कर दी जिस पर बासुदेव का नामान्तरण हो चुका है ऐसी स्थिति में अनावेदक सुभाषसिंह व्दारा मृतक बैजनाथ की बहिन के पुत्र का पुत्र होने के नाते बसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि में स्वत्व पहुंचना बताकर नामान्तरण की मांग करना निरर्थक है क्योंकि स्वत्व के मामले का विनिश्चय करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। राजस्व न्यायालय केवल नामान्तरण की पात्रता किस व्यक्ति को है सुनवाई करके खसरा एंव अन्य शासकीय अभिलेख अद्धतन रखने की कार्यवाही करता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 35/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दि0 31-3-2003, अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 4/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-1-03 तथा अनुवभागीय अधिकारी, अटेर व्दारा प्रकरण कमांक 34/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-9-2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः ग्रामसभा व्दारा प्रस्ताव/ठहराव कमांक 1 दिनांक 25-7-2002 से महिला कस्तूरी वाई पत्नि स्वर्गीय बैजनाथ के नाम किया गया नामान्तरण यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर